

न्यायालय—धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जि० बैतूल (म०प्र०)

दा०प्र०क्र०—236 / 13

संस्था०दि०—19.07.2013

फाईलिंग नंबर—106 / 2013

मध्य प्रदेश राज्य

द्वारा— पुलिस थाना

आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)।

— अभियोजन

:: विरुद्ध ::

राकेश पिता स्व० युवराज अतुलकर,

उम्र 26 वर्ष, निवासी—वार्ड नं०—9

गंज आमला, थाना आमला,

जिला बैतूल (म०प्र०)।

अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 06 / 06 / 2018 को घोषित)

01. अभियुक्त राकेश ने दिनांक 10 / 07 / 2013 को समय 12:15 बजे या उसके लगभग स्थान आमला के लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना बैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी धारदार जिसकी लम्बाई 12 इंच, चौड़ाई ढाई इंच आधिपत्य में रखा और ऐसा करके आपने धारा—4 का आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी म०प्र० शासन की अधिसूचना क्र०— 6312—6552 (2) बी (1) दिनांक 22 नवम्बर 1974 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया जो कि धारा—25 (1—बी)(बी) आयुध अधिनियम, 1959 में दंडनीय अपराध है।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना

दिनांक 10.07.2013 को प्रधान आरक्षक बाबूलाल पवार द्वारा थाना आमला में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि वह थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हमराह आरक्षक क्रं0-67 सैनिक क्रं0-151 के कस्बा भ्रमण के लिए निकले थे। मुखविर द्वारा सूचना दिये कि बस स्टैण्ड पर अभियुक्त राकेश अतुलकर हाथ लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को धमका रहा है जिसकी सूचना पर तस्दीक हेतु हमराह साक्षी यादोराव संजू को लेकर बस स्टैण्ड आये देखा कि एक व्यक्ति हाथ में छुरी लेकर आने जाने वाले लोगों को धमका रहा है जिसकी घेराबंदी कर पकड़ा नाम पूछने पर उसने राकेश अतुलकर पिता युवराज अतुलकर उम्र-26 वर्ष जाति मेहरा निवासी आमला बताया जो गवाह के समक्ष गिरफ्तार किया तथा छुरी रखने के संबंध में लायसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। आरोपी का उक्त कृत धारा-25 आर्म्स एक्ट का अपराध क्रं0-183/2013 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

03. अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की। धारा 313 द0प्र0 सं0 के अंतर्गत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने खुद को निर्दोष बताया है एवं झूठा फंसाये जाने का अभिवाक् किया है।

04. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 10/07/2013 को समय 12:15 बजे या उसके लगभग स्थान आमला के लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना बैधानिक अनुज्ञिप्त के एक लोहे की छुरी धारदार जिसकी लम्बाई 12 इंच, चौड़ाई ढाई इंच आधिपत्य में रखा और ऐसा करके आपने सहपठित धारा-4

का आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रं0— 6312—6552 (2) बी (1) दिनांक 22 नवम्बर 1974 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया जो कि धारा—25 (1—बी)(बी) आयुध अधिनियम, 1959 में दंडनीय अपराध है?

/// सकारण—निष्कर्ष ///

(विचारणीय बिंदु का निराकरण)

05. अभियोजन साक्षी सहायक उपनिरीक्षक विवेचक बाबूलाल पवार (अ0सा—3) ने अपने न्यायालीन कथन में यह अभिकथित किया है कि उसे दिनांक 10/03/13 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखविर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम बस स्टैण्ड आमला में राकेश अतुलकर हाथ में लोहे की छुरी लेकर आने जाने को लेकर लोगों को डरा—धमका रहा है जिसकी सूचना पर हमराह स्टाफ प्र0आर0क्रं0—67, सैनिक—151 और साक्षी यादोराव एवं संजू के साथ घेराबंदी कर अभियुक्त को पकड़ा पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम राकेश अतुलकर बताया और उसके कब्जे से मौके पर ही गवाह के समक्ष एक लोहे की छुरी जिसकी कुल लंबाई 12 इंच, फन की चौड़ाई ढाई इंच, मूठ की चौड़ाई करीब साढ़े चार इंच जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी—01 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त राकेश अतुलकर को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी0—2 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी संजू एवं यादोराव के कथन लेखबद्ध किये थे। बाद वापस आकर उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक—183/13 धारा—25 आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना लेख किया था जो प्र0पी—4 है, जिसके ए से ए भाग एवं ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

06. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल का मौका नक्शा बनाता तो निश्चित् स्थान बता देता कि अभियुक्त से छुरी बस स्टैण्ड में किस स्थान पर जप्त की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-1 के दिनांक 10.07.2013 को 12.15 बजे लेख किया। जप्ती का समय 12:15 बजे और गिरफ्तारी 12:25 बजे लेख है। थाना आमला से बस स्टैण्ड आने जाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया कि सम्पूर्ण कार्यवाही में आधा घंटा लगा होगा। आगे यह भी स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-4 की असल कायमी उसने कितने बजे की समय लेख नहीं किया है। जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 में नमूना सील नहीं लगाई है। जप्त शुदा छुरी की नाप किस चीज से की है उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया है। स्वतः कहा कि उसने टेप से माप किया था। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-6 में स्वीकार किया है कि आज उसे याद नहीं है कि मुखबिर की सूचना किस स्थान पर मिली थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर साक्षी यादोराव और संजू को हमराह साथ लेकर घटना गया था और यह नहीं बता सकता है कि जप्ती के गवाह कौन से स्थान से ले गया था, कौन सा चौक है उसे नहीं मालूम।

07. प्रति-परीक्षण की कंडिका-7 में यह भी स्वीकार किया है कि संजू और यादोराव को जिस स्थान से लेकर गया उस स्थान से घटना स्थल दिखाई नहीं देता है। बस स्टैण्ड पर दुकान है। वहा पर स्वतंत्र गवाह आसानी से मिल सकते हैं। उसने बस स्टैण्ड पर गवाह के साक्षी नहीं बनया है। घटना स्थल बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन की दूरी 400 मीटर है। बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन वाले रोड से लोगों का आना जाना लगा है। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा था उस समय वहा पर बहुत सारी भीड़-भाड़ थी। प्रति-परीक्षण की कंडिका-8 यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में रवानगी एवं वापसी का लेख नहीं है। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9

में यह भी स्वीकार किया है कि प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति धारदार नहीं है।

08. अभियोजन साक्षी यादोराव (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथन में यह भी अभिकथित किया है कि वह अभियुक्त राकेश को जानता है, घटना उसके साक्ष्य दिनांक से 3 वर्ष पुरानी होकर बस स्टैण्ड की दोपहर की समय की है। अभियुक्त हाथ में लोहे की छुरी लेकर लोगों डरा धमका रहा था। उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त से एक लोहे की छुरी जप्त की थी और जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार पत्रक प्र0पी0-2 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिखे थे।

09. प्रति-परीक्षण की कंडिका-2 में यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने में लिये थे। यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके जप्त पत्रक प्र0पी0-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं, थाने में लिये उस समय अभियुक्त उपस्थित नहीं था। पुलिस ने उसके सामने उक्त कागजों पर कोई लिखा-पढ़ी नहीं की थी कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिये थे। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कुछ जप्त नहीं किया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर कोई कथन नहीं लिये प्रकरण में उसके पुलिस कथन लगे हो तो वह उसका कोई कारण नहीं बता सकता है। वह अभियुक्त को नहीं जानता है, उक्त घटना कौन सी तारीख की है, उसे नहीं मालूम।

10. प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना किस स्थान की है और कितने बजे की है, उसे नहीं मालूम। वह थाना आमला में सफाई का काम करता है। पुलिस को हस्ताक्षर की

आवश्यकता रहती है तो उससे हस्ताक्षर करा लेते हैं। उक्त प्रकरण में प्र०पी०-1 एवं प्र०पी०-2 के हस्ताक्षर पुलिस ने किस बात के लिए थे, उसे नहीं मालूम।

11. अभियोजन साक्षी संजू (अ०सा०३) ने अपने न्यायालीन कथन में यह भी अभिकथित किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कुछ जप्त नहीं किया था, लेकिन जप्त पत्रक प्र०पी०-1 एवं गिरफ्तारी पत्रक, प्र०पी०-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन कथा का समर्थन नहीं करने पर अभियोजन ने इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है और प्रतिपरीक्षण में यह अभिकथित किया है कि उसने पुलिस के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

12. उपरोक्त साक्ष्य से मेरे समक्ष यह तथ्य आये हैं अभियुक्त से प्रश्नगत् लोहे की छुरी के जप्ती के संबंध में इस प्रकरण के विवेचक बाबूलाल पवार (अ०सा०-3) के न्यायालीन साक्ष्य का समर्थन जप्ती के दोनो स्वतंत्र साक्षियों यादोराव (अ०सा०-1) व संजू (अ०सा०-2) ने नहीं किया है। जहां विवेचक ने अभियुक्त से घटनास्थल बस स्टैण्ड, आमला में जप्त करना बताते हैं। अभिकथित करते हुये घटनास्थल पर ही जप्ती और गिरफ्तारी की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक प्र०पी०-1 व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 2 तैयार करना कहा है, वहीं अभियोजन की ओर से जप्ती साक्षी के तौर पर परीक्षित साक्षीगण ने जप्ती व गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी० 1 व 2 पर थाना आमला में कोरे कागज पर हस्ताक्षर करना अभिकथित किया है। यहां तक कि जप्ती के साक्षी यादोराव (अ०सा० 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कथा अनुसार जप्ती प्र०पी०-1 और गिरफ्तारी पत्रक प्र०पी०-2 की कार्यवाही का समर्थन किया है किन्तु प्रतिपरीक्षण में अभियोजन कथा का समर्थन न करते हुए पुलिस द्वारा थाने में कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिया जाना अभिकथित

करते हुए यह भी कहा है कि जब जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—2 की कार्यवाही हो गई थी, तब अभियुक्त उपस्थित नहीं था वह अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना कौन सी तारीख की किस स्थान की कितने बजे की है, उसे नहीं मालूम।

13. इस प्रकार जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 और गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0—2 के इन दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन कथा और न्यायालीन कथा का समर्थन नहीं किया है, इस प्रकार अभियुक्त से प्रश्नगत् लोहे की छुरी उसके आधिपत्य से घटना स्थल बस स्टैण्ड से जप्त होने के संबंध में अभियोजन कथा संदेहास्पद प्रतीत होती है।

14. विवेचक बाबूलाल पवार (अ0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथन में यह अभिकथित किया है कि उसने प्रश्नगत् जप्तशुदा लोहे की छुरी को घटना स्थल पर अभियुक्त के कब्जे से जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया था।

15. अभियुक्त से जप्तशुदा लोहे की छुरी जप्त की गई थी, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 का अवलोकन करे तो उसमें भी नमूना सील नहीं है, जबकि अन्वेषणकर्ता का यह दायित्व था कि वह सम्पत्ति जप्त करने के पश्चात् उसे सील चपड़ा से सील कर जप्ती पत्र में नमूना सील अंकित करता, स्वयं विवेचक ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—5 में स्वीकार किया है कि उसने जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 का नमूना सील नहीं लगाई है। इसके न होने से यह उपधारणा की जायेगी कि अन्वेषणकर्ता मौके पर सील चपड़ा लेकर नहीं गये थे।

16. उक्त परिप्रेक्ष्य में पुनः साक्ष्य का अवलोकन करे तो न्यायालय में विवेचक एवं जप्ती के साक्षियों ने ऐसे कोई कथन नहीं किये हैं कि प्रश्नगत् जप्तशुदा लोहे की छुरी मौके पर ही सीलबंद की गई थी और उस पर विवेचक साक्षीगण एवं अभियुक्त ने उस पर हस्ताक्षर किये थे। ऐसी

स्थिति में बचाव पक्ष का तर्क ही उचित प्रतीत होता है कि उसके कब्जे से न तो जप्तशुदा लोहे की छुरी जप्त की गई और न ही उस पर उसके हस्ताक्षर लिये गये।

17. विवेचक बाबूलाल पवार (अ0सा0—3) ने अपने न्यायालीन कथन में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—8 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में रवागनी वापसी का सान्हा लेख नहीं किया है, इस प्रकार विवेचक द्वारा रवानगी वापसी का सान्हा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं करने से अभियोजन कथा इस बिन्दु पर सन्देहास्पद हो जाती है कि विवेचक को नगर भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी और वह सूचना के आधार पर घटना स्थल पर पहुंचकर अभियुक्त से प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी जप्त किया था।

18. विवेचक बाबूलाल पवार अ0सा0—3 ने अपने न्यायालीन साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बस स्टैण्ड में किस स्थान पर जप्त की कार्यवाही की थी क्योंकि वह निश्चित स्थान नहीं बता सकता है। विवेचक साक्षी ने इस संबंध में पूछ गये प्रश्न के प्रतिउत्तर में यह भी अभिकथित किया है कि वह घटना स्थल का नक्शा मौका बनाता तो वह निश्चित स्थान बता देता, इस प्रकार इस संबंध में कि विवेचक ने घटना स्थल का नक्शा मौक क्यों नहीं बनाया अभिलेख पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है। इस कारण अभियोजन इस बिन्दू पर कि प्रकरण में प्रश्नगत लोहे की छुरी अभियुक्त से लोक स्थान पर जप्त की गई थी, इस संबंध में अभियोजन कथा और विवेचक साक्षी के न्यायालीन कथा संदेहास्पद होते हैं।

19. विवेचक साक्षी ने अपने न्यायालीन साक्षी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका—6 में स्वीकार किया है कि उसने साक्षी यादोराव और संजू को हमराह साथ में लेकर घटना स्थल गया था वह नहीं बता सकता कि उसने गवाह कौन से स्थान से कौन से चौक से किसकी चाय दुकान से ले गया

था नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में स्वीकार किया है कि घटना स्थल पर स्वतंत्र साक्षी आसानी से मिल जाते हैं। घटना स्थल पर भीड़-भाड़ थी, उसने घटना स्थल के साक्षियों को नहीं बनाया। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना स्थल के साक्षियों को साक्षी नहीं बनाये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जब यह साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना स्थल भीड़-भाड़ वाला स्थान था, तो अभियुक्त को किन व्यक्ति को डरा-धमका रहा था उनके कथन लेख नहीं है। इस प्रकार इस संबंध में भी अभियुक्त बस स्टैण्ड में लोहे की छुरी लेकर आने जाने वाले को डरा-धमका रहा के संबंध में भी अभियोजन कथा संदेहास्पद प्रतीत होती है।

20. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर मेरे समक्ष यह तथ्य आये है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित जप्ती व गिरफ्तारी व घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन कथा और विवेचक के कथनों का समर्थन नहीं किया है। विवेचक ने घटना के संबंध में खानगी वापसी व कायमी सान्हा प्रस्तुत किया है और न ही प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की छुरी को विधिवत रूप से घटनास्थल पर सीलबंद नहीं किया गया था और न ही उस पर उपस्थित साक्षी स्वयं और अभियुक्त के हस्ताक्षर लिये गये। अभियोजन के चक्षुदर्शी साक्षियों ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में खानगी वापसी का सान्हा प्रस्तुत नहीं है ना ही घटना स्थल मौका नक्शा प्रकरण में बनाया गया है, तब फिर ऐसी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता।

21. अतः अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 10/07/2013 को समय 12:15 बजे या उसके लगभग स्थान आमला के लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना बैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की छुरी धारदार जिसकी लम्बाई 12 इंच,

चौड़ाई ढाई इंच आधिपत्य में रखा और ऐसा करके आपने धारा-4 का आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत जारी म0प्र0 शासन की अधिसूचना क्रं0- 6312-6552 (2) बी (1) दिनांक 22 नवम्बर 1974 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन किया जो कि धारा-25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम, 1959 में दंडनीय अपराध है। अतः **अभियुक्त राकेश अतुलकर को धारा-25 (1-बी) (बी) आयुध अधि_____नियम** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

22. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहे की छुरी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् तोड़ कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जावेगा।

23. अभियुक्त का द0प्र0सं0 की धारा-428 के तहत पुलिस अभिरक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(धर्मेन्द्र खण्डायत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला जि0 बैतूल

(धर्मेन्द्र खण्डायत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला जि0 बैतूल